रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 467] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 9, 2014/भाद्र 18, 1936
No. 467] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 9, 2014/BHADRA 18, 1936

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2014

सा.का.नि. 639(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में निरीक्षक (ओवरसियर) (सिविल) और निरीक्षक (ओवरसियर) (विद्युत) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, पायनियर काडर (समूह ख योधक पद) भर्ती नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,-

(क) " महानिदेशक " से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, महानिदेशक अभिप्रेत है ;

(ख) " सक्षम प्राधिकारी " से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी या प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(ग) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 में हैं उनके वही अर्थ होंगे जो उसमें उनके हैं ।

3. लागू होना : ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

4. पद संख्या. वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान :--पद संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता, आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

6. पूर्व प्रोन्नतीय पाठ्यक्रम :- फीडर रैक में ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी ज्येष्ठता के उद्देश्य से उच्च रैंक पर प्रोन्नति के लिए पात्रता सेवा की अवधि पूरा करने से पहले अर्हक पाठयक्रम को पूरा किया हो और जो किसी प्रोन्नति से पहले, पूर्व -प्रोन्नति और प्रोन्नति पाठयक्रम उत्तीर्ण करने लिए अपेक्षित हो **:**

परन्तु यह कि यदि महानिदेशक का समाधान हो जाता है कि सेवा की आवश्यकताओं के कारण या अन्य अपरिहार्य कारणों से कोई ऐसे सदस्य जो अपेक्षित पूर्व -प्रोन्नत्तीय पाठयक्रम करने में असमर्थ हैं उसे प्रोन्नति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर पूर्व-प्रोन्नत्तीय पाठयक्रम उत्तीर्ण करने के अधीन रहते हुए पूरा करना होगा जिसके न हो सकने पर उसे पूर्ववर्ती रैंक और प्रतिष्ठा से प्रतिवर्तित किया जा सकेगा ।

7. निरर्हता : वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

8. चिकित्सा मानक :- ऐसे व्यक्ति जिनकी इन नियमों के अधीन नियुक्ति की जाती है वे चिकित्सा मानक शेप -I पूरा करेंगे ।

स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजन के लिए '' शेप- I '' से निम्नानुसार परिभाषित चिकित्सा प्रर्वग अभिप्रेत है :-
''शेप-I '' से निम्नानुसार परिभाषित चिकित्सा प्रर्वग अभिप्रेत है :-
(i) कोड अक्षर शेप (एस.एच.ए.पी.ई) जो निम्नलिखित कृत्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा उपदर्शित दिए गए कारकों के अधीन अधिकारी की उपयुक्तता निर्धारित करने के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया चिकित्सा वर्गीकरण अर्थात्:-
एस - मनोवैज्ञानिक
एच - श्रवण शक्ति
ए - उपांग (अपैन्डेजेस)
पी - शरीरिक क्षमता
ई - दृष्टि शक्ति

(ii) प्रत्येक कारक के अधीन, किसी अधिकारी की कार्यात्मक क्षमता, प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक 1 से 5 की कार्यक्षमता उपदर्शित करते हुए दर्शाई जाएगी, कोड अक्षर के पश्चात् अंक लिखे जाएंगे, सिवाय उसके जहां कोई अधिकारी सभी कारकों में श्रेणी-1, में है, वहां उसका प्रवर्ग एस1 एच1 ए1 पी1 ई1 लिखने के बजाय शेप- I, लिखकर दर्शाया जा सकेगा है और इन अंकों का साधारण मूल्यांकन निम्नानुसार है :-

1 कहीं भी सभी कर्त्तव्यों के लिए योग्य ।

2 सभी कर्त्तव्यों के लिए योग्य किन्तु क्या कर्त्तव्यों में तीव्र कठिनाईया या दोनों कानों या आँखों की श्रवण शक्ति या दृष्टि की तीक्ष्णता की मांग अन्तर्ग्रस्त है या नहीं, पर निर्भर रहते हुए कर्तव्यों के प्रकार और नियोजन योग्यता क्षेत्रों के अनुसार परिसीमाएं हो सकती हैं ।

3 ''एस'' कारक को छोड़कर, नेमी या निष्क्रिय कर्त्तव्यों के लिए योग्य किन्तु उच्च स्थान (2,700 मीटर से अधिक) अत्याधिक ठंडे क्षेत्रों या पहाड़ी भूखंडों पर और दीर्घ कर्त्तव्यों के लिए नियोजन योग्यता की परिसीमाएं हो सकती हैं ।

4 अस्पताल में भर्ती होने या बीमारी की छुट्टी के कारण कर्त्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य ।

5 कर्त्तव्यों के लिए स्थाई रूप से अयोग्य।

9. विदेशियों की अपात्रता:-

कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित में केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमित के सिवाय इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा ;

परन्तु इस नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इन नियमों के अधीन बल में नेपाल या भूटान की प्रजा की नियुक्ति अथवा नियोजन से इनकार नहीं किया जाएगा ।

10. **अधिवर्षिता :-**

(1) इन नियमों के अधीन नियुक्त में किया गया कोई व्यक्ति उस मास के, जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा ;

परन्तु यदि वह व्यक्ति जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख है सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा ।

(2) किसी व्यक्ति द्वारा अधिवर्षिता की सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त किए जाने पर उसकी इससे अधिक सेवा का विस्तार मंजूर नहीं किया जाएगा ।

11. शिथिल करने की शक्ति :-- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

12. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. निरीक्षक (ओवरसियर) (सिविल)	59* (2014) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है) ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख,' अराजपत्रित अननुसचिवीय (योधक)	वेतन बैंड 2; 9300- 34800 रू. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	नहीं	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वाराः वेतन बैंड - 2, 9300- 34800 रू0 + ग्रेड वेतन 4200 रू0 में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के ऐसे उपनिरीक्षक (सिविल) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जो पूर्व प्रोन्नतीय पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों में अर्हित हो । **टिप्पण - 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण - 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के जहॉ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहॉ यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी । **प्रतिनियुक्ति /आमेलन** केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए है ; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड - 2, 9300- 34800 रू0 + ग्रेड वेतन 4200 रू0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की है ; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं, अनुभव और चिकित्सा मानक है ; (i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरी का तीन वर्षीय डिप्लोमा ; (ii) सिविल कार्य का तीन वर्ष का अनुभव रखता ; और (iii) चिकित्सा प्रर्वग '' शेप- I '' **टिप्पण - 1** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण - 2** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण - 3** प्रतिनियुक्ति की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण - 4** प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के जहॉ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहॉ यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।	1. समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी 1. पुलिस महानिरीक्षक - अध्यक्ष 2. पुलिस उप महानिरीक्षक - सदस्य 3. कमांडेंट - सदस्य 4. सहायक कमांडेंट (सिविल) - सदस्य (2). समूह ख विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी 1. पुलिस उप महानिरीक्षक - अध्यक्ष 2. कमांडेंट - सदस्य 3. उप कमांडेंट - सदस्य	लागू नहीं होता ।

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. निरीक्षक (ओवरसियर) (विद्युत)	04* (2014) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है) ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय (योधक)	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रू.+ ग्रेड वेतन 4600 रू.	लागू नही होता	लागू नही होता	लागू नही होता	नही	लागू नही होता	प्रतिनियुक्ति/आमेलन

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(11)	12	13
प्रतिनियुक्ति /आमेलन केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के ऐसे अधिकारी ; (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड - 2, 9300- 34800 रू0 + ग्रेड वेतन 4200 रू0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की है ; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं, अनुभव और चिकित्सा मानक है ; (i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से विद्युत इंजीनियरी में तीन वर्षीय डिप्लोमा ; (ii) विद्युत कार्य का तीन वर्ष का अनुभव ; और (iii) चिकित्सा प्रवर्ग " शेप- I " **टिप्पण - 1** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण - 2** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण - 3** प्रतिनियुक्ति की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण - 4** प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी	1. समूह ख विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी 1. पुलिस उप महानिरीक्षक - अध्यक्ष 2. कमांडेंट - सदस्य 3. उप कमांडेंट - सदस्य	लागू नहीं होता ।

में विलय कर दिया गया है और वहॉं यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्सथानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।		

(फा. सं.पी. VII -1/2014-पी.सेल/स्था.-./सी आर पी एफ)

(शान्तनु) निदेशक (कार्मिक), गृह मंत्रालय,

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2014

G. S. R. 639 (E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Inspector (Overseer) (Civil) and Inspector (Overseer) (Electrical) in the Central Reserve Police Force, in the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.--** (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force, Pioneer Cadre (Group B Combatised Posts) Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions --** In these rules, unless the context otherwise requires,--

(a) "Director General" means the Director General, Central Reserve Police Force;

(b) "Competent Authority" means the appointing authority or the authority referred in the Central Reserve Police Force Act, 1949 and the Central Reserve Police Force Rules, 1955;

(c) Words and expressions used herein but not defined, shall have the same meanings as assigned to them in the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949) and the Central Reserve Police Force Rules, 1955.

3. **Application. -** These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.-** The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

5. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc. --** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

6. **Pre-promotional courses. –** Every person in the feeder rank shall undergo qualifying courses before completing the service eligibility period for promotion to higher rank in the order of their seniority and shall, before any promotion, be required to pass pre-promotional and promotional courses :

Provided that if the Director General is satisfied that due to exigencies of service or other unavoidable reasons, any such member is not able to undergo the required pre-promotional courses, he may promote such member of the Force, subject to passing pre-promotional courses within a period two years, from the date of promotion, failing which he shall be reverted to previous rank and status.

7. **Disqualification. --** No person , --

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person;

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

8. **Medical Standards.–**The person who seeks appointment under these rules shall fulfil the SHAPE-I medical standards.

***Explanation*. -** For the purpose of this rule "SHAPE-I" means medical category defined as under :-

"SHAPE-I" means the Medical Category defined as under :-

(i) Medical classification done by Medical Officer after assessing fitness of the officer under the given factors indicated by the code letters SHAPE, which represent the following function:-

S - Psychological

H - Hearing

A - Appendages

P - Physical Capacity

E - Eye-Sight

(ii) Functional capacity of an officer under each factor will be denoted by numerals 1 to 5 against each code letter, indicating declining functional efficiency and the numerals will be written next to the code letter, except that where an officer is in Grade-I in all factors, his category may be denoted by writing SHAPE-I instead of writing S1H1A1P1E1 and the general evaluation of these numerals is as under:-

1. Fit for all duties anywhere.
2. Fit for all duties but may have limitations as to type of duties and areas of employability depending on whether the duties involve severe stress or demand acuity of hearing or vision of both ears and eyes.
3. Excepting "S" factor, fit for routine or sedentary duties but may have limitations of employability at high altitude(above 2,700 meters) extreme cold areas of hilly terrain and for long assignments.
4. Temporarily unfit for duties on account of hospitalisation of sick leave.
5. Permanent unfit for duties.

9. **Ineligibility of aliens. --** No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed under these rules :

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force under these rules.

10. **Superannuation. --** (1) The person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of fifty seven years:

Provided that the person whose date of birth is the first of a month shall stand retired from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of fifty seven years.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the age of retirement on superannuation.

11. **Power to relax. --** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons, to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect to any class or category of persons.

12**. Saving. --** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions, provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders, issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.	Period of probation if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Inspector (Over-seer) (Civil).	59* (2014). *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).	Pay band – 2, Rs.9300-34800 with grade pay of Rs.4600.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.	No.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation/ absorption.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition .	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
By promotion : Sub Inspector (Civil) of Central Reserve Police Force in the pay band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200/- with five years regular service in the grade and have qualified pre-promotional course or courses. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than on pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay	(1) Group 'B' Depart-mental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : 1. Inspector General of Police – Chairman. 2. Deputy Inspector General of Police – Member 3. Commandant - Member 4. Assistant Commandant (Civil) - Member (2) Group 'B'	Not applicable .

scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation. Deputation/absorption : Officers of the Central Government or Central Armed Police Force : (a)(i) holding analogous posts in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band – 2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200; and (b) possessing the following educational qualifications, experience and medical standards : (i) three years' diploma in Civil Engineering from a recognised institute; (ii) having three years' experience in civil work; and (iii) should be in the medical category "SHAPE-I". **Note 1 :** The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment on promotion. **Note 2 :** The period of deputation including deputation to another ex-*cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3 :** The maximum age limit for eligibility for deputation shall be fifty two years on the date of receipt of application. **Note 4 :** For the purpose of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an official prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay band and grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : 1. Deputy Inspector General of Police – Chairman. 2. Commandant - Member 3. Deputy Commandant - Member	

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.	Period of probation if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2. Inspector (Overseer (Electrica .	4* (2014) *(Subject to variation dependent	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted,	Pay band-2, Rs.9300-34800 with grade pay of Rs.4600.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	No.	Not applicable.	Deputation/ absorption.

	on work-load).	Non-Ministerial (Combatised).							

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition .	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation/absorption : Officers of the Central Government or Central Armed Police Force : (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band – 2, 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200; and (b) possessing the following educational qualifications, experience and medical standard : (i) three years' diploma in Electrical Engineering from a recognised institute; (ii) having three years' experience in electrical work; and (iii) should be in the medical category "SHAPE-I". **Note 1 :** The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment on promotion. **Note 2 :** The period of deputation including deputation to another e*x-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3 :** The maximum age limit for eligibility for deputation shall be fifty two years on the date of receipt of application. **Note 4 :** For the purpose of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an official prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay band and grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : 1. Deputy Inspector General of Police – Chairman. 2. Commandant - Member 3. Deputy Commandant - Member	Not applicable.

[F. No P.VII-1/2014-P.Cell/Estt/CRPF]

SHANTANU Director (Pers),

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054